.... उल, धमतरी (छत्तीसगढ़)
☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि. /जी/4900

प्रति,

धमतरी,दिनांक: 15/10/2019

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग धमतरी (छ0ग0)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Keregaon- Gattasilli - Birgudi Road, area - 25.147 ha. regarding.** आनलाईन पंजीयन क्र. **FP/CG/ROAD/24377/2017 Date 15.03.2017**

संदर्भ :– (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रिय कार्यालय नागपुर का पत्र कमांक FC-II/CH-111/2019-NGP/5775 दिनांक 30.09.2019

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध–1/115–666/2488 दिनांक 10.10.2019

⊗⊗⊗

विषयान्तर्गत संदर्भ में अवगत हो कि संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित प्रस्ताव केरेगांव–गट्टासिल्ली–बिरगुड़ी रोड चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण रकबा 25.147 हे0 वन भूमि का भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति 25 बिन्दुओं के शर्तानुसार प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पूर्ण पालन प्रतिवेदन पृथक–पृथक वचन पत्र के रूप में इस कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (iv) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणए (v) प्रत्याशा मूल्य एवं दाण्डिक प्रत्याशा मूल्य की राशि एवं वन्य प्राणी संरक्षण योजना की राशि के पूर्ति हेतु गणना निम्नानुसार किया गया है :–

(1) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि –50.300 X 726270रू =**3,65,31,381.00 रू.** (वर्ष 2019–20 में सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर के अनुसार 726270 रू.प्रति हे. की दर से)

(2) प्रत्याशा मूल्य की राशि = **1,93,85,921.00 रू.** (25.147 हे. पर)
(वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक के अनुसार)

(3) दाण्डिक प्रत्याशा मूल्य की राशि = **1,32,102 रू.**

(4) वन्य प्राणी संरक्षण योजना = **50,65,000 रू.**

योग:– 6,11,14,404.00 रू.

अतः आप उक्त राशि कैम्पा मद में 'ई–चालान' के माध्यम से जमा कर चालान की पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। वरिष्ठ कार्यालय या शासन द्वारा उक्त राशि में भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो आपको पृथक से मांग पत्र पुनः प्रेषित किया जावेगा।

शर्त क्र. iii(b), iv, v(a), vii, viii, ix पर विशेष ध्यान देकर पूर्ति करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

वनमंण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, धमतरी

पृ0क्रमांक/मा.चि./जी/

धमतरी,दिनांक: /10/2019

प्रतिलिपिः– (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.मं.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

(2) मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुरकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/-
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, धमतरी

Office of the E.E. P.W.D. ... Dhamtari ...
No. 4054 /TS/ K.G.B. date 23.10.19 Copy forwarded to S.D.O. P.W.D. Sub Division Dhamtari/ Nagari/Kurud for information & neccesory action please submitted the desired information immediately.

Encl-

E.E.
P.W.D. Dn. Dhamtari

ACHI FCA Keregaon ...